संख्या-29/2020/537/छप्पन-2020-153/2000

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 30 मार्च, 2020

विषय: राजकीय बेल 412, VT-UPO & VT-UPK हेलीकाप्टर से Pivot Bearing Part No. 412-010-106-101, sl. No. CB6123&CB6124, Qty.02 का रिपेयर कराए जाने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 807/CADUP/ENG(PUR)/B-8/2019 दिनांक 13 मार्च, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-14/2020/59/छप्पन-2020-153/2000 दिनांक 13 फरवरी, 2020 द्वारा राजकीय बेल 412, VT-UPO & VT-UPK हेलीकाप्टर से Pivot Bearing Part No. 412-010-106-101,sl. No. CB6123 & CB6124, Qty. 02 का रिपेयर कराए जाने हेतु कुल रूपए 17,76,000/- (रूपए सत्रह लाख छिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय, वित्तीय एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति निर्गत की गई थी। किन्तु डॉलर-रूपए की विनिमय दर में हुए परिवर्तन के दृष्टिगत अब रूपए 78/- प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से भुगतान किया जाना है। अत: शासनादेश द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि रूपए 17,76,000/- (रूपए सत्रह लाख छिहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष अब 18,72,000/- (रूपए अठारह लाख बहत्तर हजार मात्र) का अग्रिम भुगतान किया जाना होगा।

अत: श्री राज्यपाल राजकीय बेल 412, VT-UPO & VT-UPK हेलीकाप्टर से Pivot Bearing Part No. 412-010-106-101, sl. No. CB6123&CB6124, Qty.02 का रिपेयर निर्माता फर्म-Bell Textron की Authorised Company M/s. 'Able Aerospace Services, 7706E. Velocity Way, Mesa, AZ 85212, U.S.A. से कराए जाने हेतु यू0एस0 डॉलर 24000/- जो रूपए 78/- प्रति यू0एस0 डॉलर की दर से कुल रूपए 18,72,000/- (रूपए अठारह लाख बहत्तर हजार मात्र) होता है, की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति के साथ शासनादेश संख्या-14/2020/59/छप्पन-2020-153/2000 दिनांक 13 फरवरी, 2020 द्वारा अवमुक्त धनराशि रूपए 17,76,000/- (रूपए सत्रह लाख छिहत्तर हजार मात्र) को घटाते हुए अवशेष अतिरिक्त धनराशि रूपए 96,000/- (रूपए छियानबे हजार मात्र) को व्यय/अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त कम्पोनेन्ट्स का ओवरहाल वर्तमान संगत नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को करने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि के समायोजन की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाएगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ो में भी समायोजन करा दिया जाए।

5- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25/10/1983, शा0 सं0 ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10/06/2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18/09/2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

6- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के अधीन पूँजीगत ''लेखा लेखाशीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-375(1)/दस-2020 दिनांक 27 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

संख्या:29/2020/537(1)/छप्पन-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।